पंचायत निगरानी संख्या : 25/2025
उनवान : घीसाराम बनाम अमीया व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 25/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/25

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
घीसाराम पुत्र मानाराम जाति माली निवासी सेला तहसील बाली जिला पाली राज.	बनाम	1. अमीया पत्नी पकाराम जाति प्रजापति निवासी चौधरियों का वास, नई आबादी श्री सेला तहसील बाली जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत धणी पंचायत समिति, बाली जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत विरुद्ध ग्राम पंचायत धणी प.स. बाली की मिसल संख्या 5/2017–18 में उल्लेखित पड़ौस बीच के भू–भाग बाबत दिनांक 05.07.2017 को पारित संकल्प संख्या 02 को निरस्त किये जाने एवं इसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 75 दिनांक 17.07.2017 बहक अप्रार्थी संख्या एक अमीया पत्नी पकाराम जाति प्रजापत श्री सेला के हक में जारी को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अमृतलाल परिहार उपस्थित

–:निर्णयः–

दिनांकः 06.06.2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत विरुद्ध ग्राम पंचायत धणी प.स. बाली की मिसल संख्या 5/2017–18 में दिनांक 05.07.2017 को पारित संकल्प संख्या 02 को निरस्त किये जाने एवं इसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 75 दिनांक 17.07.2017 बहक अप्रार्थी संख्या एक अमीया पत्नी पकाराम जाति प्रजापत श्री सेला को निरस्त करने बाबत् निवेदन किया गया। प्रार्थी की निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया।

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की सहखातेदारी कृषि भूमि ग्राम सेला तहसील बाली में स्थित खसरा नम्बर 274/609 क्षेत्रफल 2.000 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम वार्षिक राजस्व लगान 10.00 रुपये है, उक्त कृषि भूमि के 1/44 हिस्सा का सहखातेदार है। अप्रार्थी संख्या एक श्रीमती अमीया के नाम पर अप्रार्थी संख्या दो पंचायत धणी ने मिसल संख्या 5/2017–18 के जरिये पट्टा संख्या 75 दिनांक 17.07.2017 को संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.07.2017 की अनुपालना में पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(01) के तहत जारी किया है। उक्त पट्टा संख्या 75 में उल्लेखित पडौस के अनुसार भूखण्ड की भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं होकर प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 274/609 में स्थित प्रार्थी के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जि०-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 25/2025
उनवान : घीसाराम बनाम अमीया व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

मकान से संबंधित है। अप्रार्थी संख्या एक के हक में अप्रार्थी संख्या दो द्वारा जारी उपरोक्त विवरण के पट्टे की आड में प्रार्थी की सहखातेदारी में स्थित प्रार्थी के मकान पर कब्जा करने हेतु माह नवम्बर 2024 में असफल प्रयास करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे की प्रति प्राप्त करने पर दिनांक 02.12.2024 को जानकारी हुई। उपरोक्त विवरण के पट्टे व सम्बन्धित संकल्प संख्या 2 दिनांक 5.7.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी याचिका निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:–

1. यह कि, ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में ही निर्मित मकान के भूखण्ड का पट्टा जारी करने की शक्तियां प्राप्त है।
2. यह कि किसी की खातेदारी/सहखातेदारी भूमि के किसी भी भू–भाग बावत् ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है।
3. यह कि प्रार्थी के आवेदन पर विस्तृत जांच रिपोर्ट मंगवाये जाने पर हल्का पटवारी धणी एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 27.12.2024 को पट्टे में उल्लेखित पड़ौस के अनुसार मौका निरीक्षण कर जांच की जिसके अनुसार प्रश्नगत पट्टा संख्या 75 से संबंधित भूखण्ड आबादी भूमि का भू–भाग नहीं होकर प्रार्थी की सहखातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 274/609 की भूमि के भू–भाग से संबंधित है।
4. यह कि ग्राम सेला तहसील बाली में प्रार्थी की सहखातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 274/609 क्षेत्रफल 2.0000 हैक्टर स्थित है जिस भूमि के 1/44 हिस्से में प्रार्थी सहखातेदार है।
5. यह कि खातेदारी/सहखातेदारी भूमि को आवासीय हेतु संपरिवर्तन करने का अधिकार क्षेत्र राजस्व विभाग को है, न कि पंचायतीराज विभाग को। इस प्रकार ग्राम पंचायत धणी द्वारा जारी संकल्प संख्या संख्या 02/ दिनांक 05.07.2017 इसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 75 दिनांक 17.07.2017 क्षेत्राधिकार विहीन होने से कानूनन अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी है। जिससे भी निगरानी स्वीकृत योग्य है।
6. यह कि अप्रार्थी संख्या 01 अमीया के हक में जारी पट्टा बने रहने से मौके पर कभी भी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके बने रहने का कोई विधिक औचित्य नहीं है।
7. यह कि अप्रार्थी संख्या 01 अमीया का कोई आवासीय मकान ग्राम पंचायत धणी के ग्राम सेला में स्थित आबादी भूमि में स्थित नहीं है जिससे अप्रार्थी संख्या 01 नियम 157(1) के तहत पट्टा प्राप्त करने की भी अधिकारिणी नहीं है।
8. यह कि ग्राम पंचायत धणी ने भी भूमि की जांच किये बिना एवं आबादी क्षेत्र में निर्मित मकान के अभाव में एवं आधिपत्य के अभाव में पट्टा जारी किया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत धणी की मिसल संख्या 5/2017–18 के संबंध में संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.07.2017 को अधिकार विहिन पारित किया है एवं इसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 75 दिनांक 17.07.2017 को निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

अतः निगरानी याचिका पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत धणी का रिकॉर्ड तलब कर प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार कर ग्राम पंचायत धणी प.स. बाली की मिसल संख्या 5/2017–18 में उल्लेखित पडौस बीच के भू–भाग बाबत दिनांक 05.07.2017 को पारित संकल्प संख्या 02 को निरस्त किये जाने एवं इसके अनुसरण में जारी संकल्प संख्या 02 को निरस्त किये जाने एवं इसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 75 दिनांक 17.07.2017 बहक अप्रार्थी संख्या एक अमीया पत्नी पकाराम जाति प्रजापत श्री सेला के हक में जारी को निरस्त फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 25/2025
उनवान : घीसाराम बनाम अमीया व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

अप्रार्थी संख्या 01 को प्रेषित सम्मन उनके पति द्वारा सम्यक् तामीली होने के उपरांत भी अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा असालतन या वकालतन न्यायालय हाजा में उपस्थिति नहीं दी गई। अतः अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत धणी से तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 02 सरपंच ग्राम पंचायत धणी द्वारा लिखित प्रत्युतर पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत धणी में मिसल संख्या 05/2017–18 से संबंधित खसरा संख्या 274/609 में पूर्व सरपंच द्वारा पट्टा बनवाया गया है। इस संबंध में कोई नियमानुसार कार्यवाही की जाए तो कोई आपत्ति नहीं है।

हस्तगत निगरानी के संबंध में काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि ज़ैर निगरानी प्रश्नगत पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि से संबंधित न होकर प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 274/609 मौजा श्री सेला की भूमि का जारी किया गया है, जिसका ग्राम पंचायत को कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। यह भी, कि प्रश्नगत भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) निष्पादित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 09 में विहित प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना भी नहीं की गई है। काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने बहस के अंत में ज़ाहिर किया कि हस्तगत निगरानी में विधि एवं तथ्यों का सारभूत प्रश्न अन्तर्निहित होने से उक्त निगरानी को मियाद शुमार मानकर गुणावगुण आधार पर निर्णित करते हुए आलोच्य पट्टे को अपास्त किया जाए। प्रार्थी अधिवक्ता के उक्त तर्क को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष द्वारा बहस में उठाए गए तर्कों पर मनन किया गया तथा याचिकापत्र, सलंग्न दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रकरण के मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत पुनरीक्षण याचिका में निम्नलिखित दो प्रश्नों का निर्धारण आवश्यक है:–

1. क्या ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा संख्या 75 दिनांक 17.07.2017 (मिसल संख्या 5/2017–18) आबादी भूमि से संबंधित न होकर प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि से संबंधित है?
2. क्या आलोच्य पट्टा संख्या 75 दिनांक 17.07.2017 में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं सुसंगत नियम, 1996 में विहित प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना की गई है अथवा नहीं?

उपरोक्त दोनों प्रश्नों का उपलब्ध दस्तावेजों तथा मूल रिकॉर्ड के आधार पर विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 25/2025
उनवान : धीसाराम बनाम अमीया व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

1. प्रार्थी ने आलोच्य पट्टे से संबंधित भूमि को स्वयं की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 274/609 ग्राम श्री सेला से संबंधित होने का कथन किया है तथा प्रमाणस्वरूप हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 27.12.2024 को तैयार मौका फर्द की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। उक्त मौका फर्द दिनांक 27.12.2024 में पटवारी ने यह अंकन किया है कि अप्रार्थी श्रीमती अमीया पत्नि श्री पकाराम प्रजात के पक्ष में निष्पादित पट्टा संख्या 75 ग्राम की आवादी भूमि से बाहर खसरा संख्या 274/609 में जारी किया हुआ है, जो कि प्रार्थी श्री धीसाराम वगैरह की कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या दो, सरपंच ग्राम पंचायत धणी द्वारा भी लिखित प्रत्युतर दिनांक 03.02.2025 में प्रश्नगत मिसल संख्या 5/2017–18 से संबंधित भूमि खसरा संख्या 274/609 ही अंकित की है, जिसमें कि पूर्व सरपंच द्वारा पटटा जारी करने का भी कथन किया गया है।
महत्वपूर्ण है कि मिसल संख्या 5/2017–18 की आदेशिका दिनांक 05.07.2017 में रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने का अंकन किया गया है। किन्तु सम्पूर्ण मिसल पत्रावली में पटवारी द्वारा प्रस्तुत ऐसी कोई रिपोर्ट सलंग्न नहीं है। जाहिर है कि आलोच्य भूमि विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व पंचायत द्वारा पटवारी से भूमि सम्बन्धि कोई रिपोर्ट नहीं ली गई।

अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.12.2024 में अंकित तथ्यों की प्रामणिकता सिद्ध मानते हुए काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष के इस तर्क को स्वीकार किया जाता है कि आलोच्य पट्टा प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 274/609 से सम्बन्धित है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 में यथापरिभाषित 'आवादी भूमि' में खातेदारी कृषि भूमि शामिल नहीं है, अतः यह सावित पाया जाता है कि ग्राम पंचायत धणी द्वारा मिसल संख्या 5/2017–18 में अपने क्षेत्राधिकार से इतर गैर आवादी भूमि में आलोच्य भूमि विक्रय विलेख जारी किया गया है।

2. पूर्वोक्त द्वितीय प्रश्न के अभिनिर्धारण हेतु मिसल संख्या 05/2017–18 के मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय हैः–
(i) अप्रार्थी के पति श्री पकाराम द्वारा प्रस्तुत आवेदक पर दिनांक 02.06.2017 को मिसल कायम की गई तथा आदेशिका दिनांक 05.06.2017 में पंचों की समिति द्वारा नियम 146 के तहत निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने का अंकन है। किन्तु न तो आज्ञाओं की सूची और न ही बैठक कार्यवाही रजिस्टर में कार्यवाही विवरण दिनांक 05.06.2017 को तीन पंचों को नामित किया गया है। मिसल में सलंग्न स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर भी सचिव एवं सरपंच के ही हस्ताक्षर है। मिसल में सलंग्न एक अन्य

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
वाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 25/2025
उनवान : घीसाराम बनाम अमीया व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

रिपोर्ट किन्हीं तीन व्यक्तियों की हस्ताक्षरशुदा दृष्टिगत है, किन्तु उनके न तो नाम पदनाम अंकित है और न ही उक्त रिपोर्ट सरपंच/सचिव द्वारा अनुप्रमाणित है।

(ii) मिसल में संलग्न आपत्ति इश्तिहार पर न तो दिनांक अंकित है और न ही नियम 148(2) के प्रावधानानुसार दो व्यक्तियों के चस्पानगी के प्रमाणस्वरुप हस्ताक्षर ही अंकित है। स्पष्ट है कि आपत्ति इश्तिहार के सम्बन्ध में कागजी खानापूर्ति ही की गई है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर विचाराधीन पंचायत पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत धणी द्वारा मिसल संख्या 5/2017–18 में श्रीमती अमीया पत्नि श्री पकाराम प्रजापत के पक्ष में पारित संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.07.2017 को विधिविरुद्ध घोषित करते हुए इसके अनुसरण में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 75 दिनांक 17.07.2017 को खारिज किया जाता है।

साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत को पुनर्प्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते है कि उक्त पट्टे एवं मिसल की मूल प्रति पर लाल स्याही से 'निरस्त' अंकन करें। तथा अप्रार्थी से मूल पट्टा प्रति प्राप्त कर इस पर भी तद्नुरुप 'निरस्त' अंकन करना सुनिश्चित किया जाए।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, बाली

Scanned with OKEN Scanner